न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

प्रकरण संख्या :: 42/2024
जीसीएमएस नम्बर :: 2024/191

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
श्री हीरालाल पुत्र स्वर्गीय श्री भुराराम निवासी – ग्राम माण्डल, हाल निवासी – चौधरी बलदेव सिंह कॉलोनी, मयुर स्कुल के सामने पुलिस थाना सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।		1. टीपू पत्नी भूराराम जाति खटीक निवासी– ग्राम माण्डल तहसील रानी, पुलिस थाना रानी जिला पाली (राज.) 2. रमेश पुत्र भुराराम जाति खटीक निवासी– ग्राम माण्डल तहसील रानी, पुलिस थाना रानी जिला पाली (राज0)

अपील अंतर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007

उपस्थिति :–

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 11.08.2025

अपीलाण्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 तहत विरूद्ध उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रानी के प्रकरण संख्या 01/2024 बअनवान टीपू देवी बनाम हीरालाल वगैरह में आदेश दिनांक 10.09.2024 को निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है। अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलाण्ट को वक्त बहस न्यायालय समय में बार–बार आवाजे लगाये जाने पर वकालतन अथवा असालतन अनुपस्थित आये। रेस्पोडेण्ट्स को सुना गया एवं प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

अपीलाण्ट ने अपील–मीमो में निवेदन किया कि अधीनस्थ अधीकरण द्वारा प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र अप्रार्थी हिरालाल के विरूद्व माहवारी भरण पोषण हेतु प्रतिमाह 5000/ रूपये दिलवाये जाने का एकतरफा आदेश पारित किया गया जो आदेश दिनांक 10.09.2024 बअनवान श्रीमती टीपू बनाम हीरालाल प्रार्थना पत्र संख्या 01/2024, दायर दिनांक 30.04. 2024 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 व 23 अभिभावको एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रानी द्वारा पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष श्रीमती टीपू देवी द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह पुत्र रमेश द्वारा अपीलाण्ट हीरालाल से पैतृक सम्पत्ति जो गॉव माण्डल मे आयी हुई है उसको हडपने के चलते तथा माता टीपू देवी व पिता भूराराम के सोने चांदी के गहने एवं नकद रूपये जो रमेश के पास में ही पड़े हुए है जिसको रमेश ने जबरदस्ती अपने पास में रख लिया है। उक्त जेवरात अन्य किसी को नहीं देने के चलते तथा गॉव की उक्त सम्पत्ति अकेले रमेश द्वारा हडपने तथा अपीलाण्ट हीरालाल द्वारा अपना हक हिस्सा त्याग देने के चलते दबाब बनाने हेतु यह वाद टीपु देवी से करवाया है जबकि वास्तविक स्थिति में माता टीपू देवी की सार संम्भाल अपीलाण्ट द्वारा की जाती रही है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 4–5 माह पूर्व ही रमेश द्वारा माता टीपू देवी को हीरालाल के विरूद्ध भड़काकर उक्त गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का सारा षडयंत्र पुत्र रमेश ने ही रचा है जिसके मूल मे भरण पोषण अथवा सार संम्भाल

जिला कलेक्टर, पाली

का कोई बिन्दु वास्तविक रूप से है ही नही, यह प्रार्थना पत्र गलत तौर पर माता टीपू देवी को आगे करके किया गया है। टीपू देवी के वृद्धा अवस्था पेंशन आ रही है तथा साथ ही गांव पैतृक गांव से किराये के रूप में राशि प्राप्त हो रही है। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत टीपू देवी द्वारा प्रार्थना पत्र का समग्र विधिक रूप से अवलोकन किया जावे तो यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत माण्डल मे खातेदारी भूमि के नाम से आयी हुई थी जिसका बेचाण स्वयं पिता भूरारामजी द्वारा अपने जीवनकाल में कर दिया गया। उक्त सम्पत्ति के बेचाण को आधार बनाकर यह प्रार्थना पत्र गलत तरीके से माता टीपू देवी के द्वारा प्रस्तुत करवाया गया है जिससे भुराराम तथा माता टीपू देवी की समस्त चल सम्पति जेवरात एवं रूपयों को अकेले भाई रमेश द्वारा हडपनें की नियत के चलते यह झूठा प्रकरण माता टिपु देवी को आगे करके दर्ज करवाया गया है। पिता भूराराम का पैतृक मकान मय बाडा जिसमें सभी भाईयो एवं बहनों का हिस्सा आता है वह अकेले भाई रमेश हडपना चाहता है तथा अपीलाण्ट हीरालाल अपना हक हिस्सा, पैतृक मकान की निशानी के तौर पर रखना चाहता है ताकि पैतृक निशानी बची रहे। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि उसमे अपीलाण्ट को जवाब प्रस्तुत करने, बहस करने, तथा पैरवी करने का कोई समुचित अवसर प्रदान नही किया है तथा साथ ही सुनवाई का अवसर भी नही दिया है। माता टीपू देवी के भरण पोषण के रूप में पुत्र हीरालाल के अलावा पुत्र रमेश भी है जिसे जानबूझकर पक्षकार नही बनाया गया है क्योंकि समस्त कर्ता–धर्ता व उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने वाला रमेश ही है। विधि अनुसार दोनो पुत्रों को पक्षकार बनाकर ही माता टीपू देवी के भरण पोषण बाबत् बराबर बराबर विधिक भरण पोषण बाबत् आदेश पारित किया जाना चाहिए था जिसका पूर्णतया अभाव अपीलाधीन पारित आदेश मे रहा है जो राशि मासिक भरण पोषण हेतु पारित की गयी है उसे खारिज फरमावे तथा अन्य पुत्र रमेश को भी बतौर पक्षकार संयोजित कर भरण पोषण भार प्रत्यर्थी रमेश पर भी डाला जावे व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश पारित किया है। इसलिए जैर अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज कर जैर अपील स्वीकार फरमावे।

रेस्पो. संख्या 01 ने न्यायालय हाजा में स्वयं उपस्थित होकर यह निवेदन किया कि विधवा एवं 89 वर्ष की वृद्ध है और अपीलाण्ट की माता है, जिसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्त्रोत नहीं है। साथ ही अपीलाण्ट सरकारी सेवा से सेवानिवृत कर्मचारी है और उसके प्रतिमाह पेंशन आती है एवं अपीलाण्ट जो कि रेस्पो. संख्या 01 का परम कर्त्तव्य है कि वे अपने माता–पिता का भरण पोषण करे। अतः जैर अपील सारहीन होने से खारिज फरमावे।

श्रवणशुदा बहस व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलाण्ट के मुख्य उज्र यह है कि जैर अपीलाधीन आदेश पारित करते समय उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। रेस्पो. संख्या 01 जो अपीलाण्ट की माता है, उसके रेस्पो. संख्या 02 व अपीलाण्ट को मिलाकर दो संतान है, तो अधीनस्थ न्यायालय ने केवल अपीलाण्ट पर ही भरण–पोषण की राशि निर्धारित की है जो विधि विरूद्ध है। जबकि रेस्पो. संख्या 01 का प्रमुख उज्र है कि वह एक 89 वर्ष की विधवा एवं वृद्ध है, जिसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्त्रोत नहीं है व अपीलाण्ट जो कि रेस्पो. संख्या 01 का पुत्र है तो उसका परम कर्त्तव्य है कि वे अपने वृद्ध माता पिता का भरण–पोषण करे जबकि अपीलाण्ट तो स्वयं सरकारी सेवा से सेवानिवृत कर्मचारी है जिसके प्रतिमाह पेंशन आती है।

जिला कलेक्टर, पाली

जैर प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि जैर अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट आया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2024 को पारित किया है जबकि अपीलाण्ट के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.05.2024 को ही प्रस्तुत हो गये थे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगभग 4

महीने के बाद जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिससे भी यह साबित नहीं होता कि अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो। अपीलाण्ट का यह कथन कि उसकी माता के दो पुत्र है तो माता के भरण–पोषण की राशि दोनों पुत्रों पर निर्धारित की जानी चाहिए थी परन्तु रेस्पो. संख्या 02 ने स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में रेस्पो. संख्या 02 से भरण पोषण की मांग की हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा साथ में रेस्पो. संख्या 02 ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर यह कथन किया कि प्रार्थीया जीवनपर्यन्त रेस्पो. संख्या 02 के हिस्से में रहे, उसे विरासत में मिले मकान में शान्तिपूर्वक निवास करे एवं रेस्पो. संख्या 02 ने रेस्पो. संख्या 01 को न तो कभी प्रताड़ित किया है न ही न ही भविष्य में प्रताड़ित करेगा एवं रेस्पो. संख्या 02 के उक्त कथन के संदर्भ में रेस्पो. संख्या 01 ने अपनी स्वीकारोक्ति भी प्रकट की, जिससे अपीलाण्ट का उक्त कथन भी समायपयोगी सिद्ध नहीं होता। इसके अतिरिक्त रेस्पो. संख्या 01 जो कि अपीलाण्ट की माता है एक विधवा एवं 89 वर्ष की वृद्ध है, जिसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्त्रोत नहीं है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण अधिनियम 2007 की धारा 9(2) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ऐसा अधिकतम भरणपोषण भत्ता, जिसका ऐसे अधिकरण द्वारा आदेश दिया जाए, वह होगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये और जो दस हजार रूपये प्रति मास से अधिक नहीं होगा। हस्तगत प्रकरण में रेस्पो. संख्या 01 के दो पुत्र है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने एक पुत्र जो कि अपीलाण्ट है, उस पर उसके वृद्ध माता के भरण–पोषण हेतु अधिकतम पांच हजार रूपये की राशि प्रतिमाह अदा करने का जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो कि विधिनुसार ही निर्धारण किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते।

लिहाजा उक्त समग्र विवेचन के आधार पर हम अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज करते है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 को यथावत रखा जाकर अपीलाण्ट को आदेशित किया जाता है कि अपीलाण्ट के भरण–पोषण की राशि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.09.2024 से 5000 रूपये प्रतिमाह करते है रेस्पो. संख्या 01 के खाते में अदा करेंगे एवं न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक से एक माह की अवधि में मय एरियर रेस्पो. संख्या 01 के खाते में जमा करवायेंगे तथा जमा रसीद अपने पास बतौर सबूत रखे। अपीलाण्ट उक्त राशि सही समय पर प्रार्थीया के बैंक खाता मे जमा करावें तथा किसी प्रकार की कोताही नहीं बरते तथा अपीलाण्ट रेस्पो. संख्या 01 श्रीमती टीपू देवी की सेवा एवं सम्मान करे तथा आपसी सौहार्द्र बनाये रखे। उक्त आदेश की अवहेलना करने पर अपीलाण्ट के विरूद्ध माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जा सकेगी। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड भिजवाया जावे एवं निर्णय की सत्यप्रति उभयपक्ष को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **11.08.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली